


15/22
21/11/22

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत - जिला कलक्टर, - मुकाम - भरतपुर
नवाव बनाम राज0 सरकार जरिये एपीपी
किस्म मुकदमा 6'ट' प्रा.पत्र नम्बर 15 सन् 2022
जो 437

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जाशी हुए
21.11.22	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। एपीपी उपस्थित। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी सुपुर्दगार ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि पुलिस थाना सीकरी में एफआईआर संख्या 473/22 धारा 3, 5, 8 राज. गोवंश अधिनियम में जप्त वाहन ट्रक एचआर-55-आर-6724 को रिलीज किये जाने का निवेदन किया है। कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। थानाधिकारी सीकरी द्वारा उक्त वाहन से सम्बन्धित गोवंश अधिनियम की धारा 6ए के तहत कोई प्रकरण न्यायालय हाजा में पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में धारा 6ए प्रकरण के बिना प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी चलने योग्य नहीं रहता है। अतः प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी कार्यवाही इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। प्रकरण धारा 6ए प्राप्त होने पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी पेश करने के लिये स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखित दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला कलक्टर भरतपुर राज०.</p>	